(iii) 1976–77 के दौरान देहाती इलाकों में डाक टिकटों और डाक लेखन सामग्री की बिक्री के लिये 2710 एजेंट नियुक्त किये गये हैं।

(iv) वर्ष 1976–77 में गांवों में 18834 लेटर बक्स लगाये गये हैं।

(v) सभी ग्रामीण डाकियों और विभागेतर वितरण एजेंटों को अपनी गश्तों के समय डाक टिकट और डाक लेखन सामग्री बेचने का अधिकार दे दिया गया है।

(घ) और (ङ). उन स्थानों के अलावा जहां राजस्व के संबंध में विचार किये बिना तार की सुविधाएं दी जा सकती हैं, अन्य ऐसे स्थान भी होते हैं जहा कुछ शर्तों के अन्तर्गत टेलीफोन और तार की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इस संबंध में सम्पूर्ण ब्यौरे सभा पटल पर रखे गये अनुबध -III में दे दिये गये हैं। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 490/77] इससे यह देखा जा सकता हैं कि सामान्य क्षेत्रों की तुलना में पिछड़े और पहाड़ी क्षेत्रों के संबंध में ये सुविधाएं देने की शर्तें काफी उदार हैं।

प्रबंध में श्रमिकों को भागीदार बनाया जाना

1583. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**
श्री प्रद्युमन बाल :

क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रबंध में श्रमिकों को भागीदार बनाने में सरकार की क्या नीति है तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रबीन्द्र वर्मा) : सरकार की नीति यह है कि प्रबन्ध में श्रमिकों की पूर्ण एवं प्रभावी सहभागिता सुनिश्चित की जाये। इस मामले पर हाल ही में त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलन में विचार विमर्श हुआ और इस मामले का अध्ययन करने तथा इस संबंध में रिपोर्ट देने के लिये एक त्रिपक्षीय समिति नियुक्त की जा रही है। यह समिति श्रमिकों की सहभागिता संबंधी उन योजनाओं के कार्यान्वयन से प्राप्त हुए अनुभव पर भी विचार करेगी जो कुछ समय पूर्व आरम्भ की गई थी।

आपात स्थिति के दौरान नसबंदी के मामलों में हुई ज्यादतियों के बारे में ज्ञापन

1584. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आपात स्थिति के दौरान नसबंदी के मामलों में की गई ज्यादतियों के बारे में अभ्यावेदन अथवा ज्ञापन प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां तो इस संबंध में अब तक एक आम नीति निर्धारित न करने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) जी हां।

(ख) सरकार की यह निश्चित नीति हैं कि परिवार कल्याण कार्यक्रम को चलाने में किसी भी तरह की ज्यादती, जोर-जबरदस्ती अथवा दबाब का इस्तेमाल नहीं होना चाहिये आपातकालीन स्थिति के दौरान हुई ज्यादतियों की जो शिकायतें केन्द्रीय सरकार को मिली हैं, उन सब की जांच तथा उचित कार्यवाई के लिए राज्यों तथा इस कार्यक्रम को चलाने